दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा पंजाब से चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वाहन की चोरी की घटनाओ की रोकथाम एवं वाहन चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्तव मे आज दिनांक 09.12.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 वाहन चोर अभियुकगण 1. सागर पुत्र रफल सिंह पाल निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर व 2. बादल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को भगवानपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का एक अन्य साथी दूसरी मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया। अभियुक्तगण के कब्जे से करीब 01 वर्ष पहले लुधियाना (पंजाब) से चोरी की गयी अपाचे मोटरसाईकिल रंग सफेद RTR 180 BS 4 जिस पर फर्जी न0 प्लेट लगाकर UP 12 BR 1234 लगी बरामद। जबकि मोटर साईकिल का असली रजिस्ट्रेशन नम्बर PB 10 GH 8380 है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 267/24 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग शादियों में वेटर का काम करते है, शादियो में जो लोग ज्यादा नशे में हो जाते है उनके पैसे और सामान आदि भी चोरी कर लेते है। करीब 01 साल पहले हम लोग काम करने लुधियाना गये थे तभी हम लोगो ने यह मोटरसाइकिल बैंकेट हाल के बाहर से चोरी की थी और पुलिस से बचते हुए सहारनपुर ले आये थे। पकड़े जाने के डर से हम लोगो ने इस मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरनगर जिले का नम्बर डलवा रखा था। हम लोग इस मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में निकले थे, हमारा जो साथी मौके से भाग गया है उससे हमारी मुलाकात लुधियाना में ही हुई थी, वही इस चोरी की मोटरसाइकिल को बिकवाने ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सागर पुत्र रफल सिंह पाल निवासी कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. बादल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अपाचे मोटरसाईकिल रंग सफेद RTR 180 BS 4 (PB 10 GH 8380)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना गागलहेडी स0पुर
2. उ0नि0 राशिद खाँ थाना गागलहेडी स0पुर
3. उ0नि0 शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी स0पुर
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी स0पुर
5. का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब ब्रिकी करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 फ्रूटी पाऊच देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब एवं मादक पदार्थो की बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से शराब की ब्रिकी करते हुए 01 **अभियुक्त शीशपाल पुत्र चन्दर निवासी ग्राम सूभरी थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 45 फ्रूटी पाऊच देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 260/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शीशपाल पुत्र चन्दर निवासी ग्राम सूभरी थाना बडगांव जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 223/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 260/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 331/20 धारा 379/411 भादवि थाना बडगाव सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

45 फ्रूटी पाऊच देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जिला सहारनपुर

2- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

दिनांक - 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2024 को वादिया श्रीमती ममता पत्नी स्व0 श्री घनश्याम निवासी मौ0 पश्चमी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर की तहरीर बाबत मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तगण 1. मन्नु त्यागी पुत्र नामालूम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर, 2. मन्नु त्यागी के छोटे भाई व अन्य अज्ञात द्वारा वादिया के पुत्र अर्जुन के साथ गाली गलौच करते हुए डण्डो से मारपीट करने, जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर घायल कर देने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 367/2024 धारा 109,352,351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में वांछित **अभियुक्त अर्चित त्यागी उर्फ मुन्नू त्यागी पुत्र परमानन्द त्यागी निवासी मौ0 दुर्गा कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को मौ0 दर्गा कालोनी के गेट के पास से** गिरफ्तार किया गया कब्जे/निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी और अर्जुन की पुरानी रंजिश चली आ रही है करीब 2 – 3 दिन पहले बाजार में अर्जुन ने मेरे भाई भरत त्यागी के साथ मारपीट की थी यह बात भरत ने मुझे व मेरे परिवार वालो को बतायी थी। उस मारपीट का बदला लेने के लिए रात्रि करीब 10 बजे मैं तथा मेरा छोटा भाई भरत मो0साइकिल से तथा दूसरी मो0साइकिल पर मेरे भाई भरत के दोस्त खटीको की पुलिया पर गये थे तभी अर्जुन अपने घर की तरफ से आया और हम सभी ने अर्जुन के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्चित त्यागी उर्फ मुन्नू त्यागी पुत्र परमानन्द त्यागी निवासी मौ0 दुर्गा कालोनी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 367/2024 धारा 109,352,351(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार गुप्ता थाना सरसवा स0पुर
2. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 96 विक्रान्त सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2557 कृष्ण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2024 को वादी राजीव उर्फ रजत पुत्र अशोक कुमार निवासी कोरी माजरा नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक पुत्र शिवकुमार निवासी कोरी माजरा थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर वादी के घर मे घुस कर वादी को जान से मारने की नीयत से तलवार से वार करने व गाली गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 715/2024 धारा 115(2)/352/333/109(1) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त जानलेवा हमले के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त दीपक पुत्र शिवकुमार निवासी कोरी माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को मनोहरपुर गाँव से पैरामाउन्ट को जाने वाली फैक्ट्री एरिया के पीछे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

दीपक पुत्र शिवकुमार निवासी कोरी माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2471 शिशूपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 1837 सचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2024 को वादी श्री आशु सैनी पुत्र नीरज सैनी निवासी कमालपुर रोड कस्बा छुमटलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्प्लेडर मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP11BA0684 रंग काला को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मात्र 24 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर **अभियुक्त विकास पुत्र मोतीलाल नि0 ग्राम सालियर थाना गंगनहर रूड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड** को बडकला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी गयी 01 मोटर साईकिल बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त विकास उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 08/12/24 को कमालपुर रोड कस्बा छुटमलपुर से एक घर के सामने से चोरी की थी। आज मै इसको किसी चलते फिरते व्यक्ति को मजबूरी बताकर बेचने जा रहा था कि आप लोगो को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तभी आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास पुत्र मोतीलाल नि0 ग्राम सालियर थाना गंगनहर रूड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 210/22 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना फतेहपुर

मु0अ0सं0 228/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना फतेहपुर

बरामदगी का विवरण-

01 चोरी की मोटरसाइकिल (UP11BA0684)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 पंकज मिश्रा थाना फतेहपुर सहानरपुर
3. का0 2176 श्याम पाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.11.2024 को वादी शाहरूख पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जिला मुजफ्फर नगर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की बहन शादिया पत्नी सउद के साथ घरेलू हिंसा करते हुए दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने व दहेज की मांग पूरी न होने पर विपक्षीगण द्वारा वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 657/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए । उक्त आदेश के अनूपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभियुक्ता श्रीमती गुलशाना पत्नी इन्तसार निवासी ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम गोपाली से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलशाना पत्नि इन्तसार निवासी ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 सविता त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 2471 नरेन्द्र शर्मा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 2155 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के अन्तर्गत महिलाओ/बालिकाओ/बच्चियो की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा महिला बीट के सुदृढीकरण के सम्बन्ध मे गोष्ठी का आयोजन

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन मे मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के अन्तर्गत महिलाओ/बालिकाओ/बच्चियो की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा महिला बीट के सुदृढीकरण के सम्बन्ध मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की अध्यक्षता मे आज दिनांक 09.12.2024 को जिला प्रशिक्षण इकाई (डी0टी0यू0) रिजर्व पुलिस लाईन मे जनपद सहारनपुर के समस्त थानो मे महिला बीट पर नियुक्त महिला बीट कर्मियो के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी मे समस्त महिला बीट कर्मियो को उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वो के साथ-साथ उच्च स्तर से निर्गत आदेशो/निर्देशो से अवगत कराया गया। गोष्ठी मे पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति एवं महिला बीट पर नियुक्त 76 महिला बीट कर्मियो (मुख्य आरक्षी/आरक्षी) द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

दिनांकः 09.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा पीडित से आयुष्मान योजना के नाम पर लखनऊ से आनलाइन ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11/11/2024 को वादी श्री प्रभात कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रमेश चन्द वर्मा नि0 मकान नं0 82/01 कीर्थ पूरी कालोनी महिपुरा सडक दुधली सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी से आयुष्मान योजना के पैसे के बिल का भुगतान जल्दी कराने के नाम पर आनलाइन 90,30,200/- रू0 की ठगी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 83/24 अन्तर्गत धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त जालसाजी की घटना का तत्काल अनावरण करने एवं पीड़ित की ठगी गयी धनराशि वापस कराने हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर (नोडल अधिकारी साइबर क्राइम) एवं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 03 शातिर साइबर ठग/**अभियुक्तगण 1- (मुख्य अभियुक्त) अंकित जयसवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार नि0 251/90 टेढी बाजार रकाबगंज थाना चौक लखनऊ हाल पता 502 रामनगर कालोनी फैज्जुलागंज थाना मडियाव जनपद लखनऊ, 2- अभय शर्मा पुत्र स्व0 दिलीप कुमार शर्मा नि0 68/43 छितवापुर पजावा लालकुआ थाना हुसैनगंज लखनऊ व 3 - विवेक शर्मा पुत्र मनोज कुमार नि0 68/43 छितवापुर पजावा थाना हुसैनगंज लालकुआ जनपद लखनऊ** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- अंकित जयसवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार नि0 251/90 टेढी बाजार रकाबगंज थाना चौक लखनऊ हाल पता 502 रामनगर कालोनी फैज्जुलागंज थाना मडियाव जनपद लखनऊ। (मुख्य अभियुक्त)
2- अभय शर्मा पुत्र स्व0 दिलीप कुमार शर्मा नि0 68/43 छितवापुर पजावा लालकुआ थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3- विवेक शर्मा पुत्र मनोज कुमार नि0 68/43 छितवापुर पजावा थाना हुसैनगंज लालकुआ जनपद लखनऊ।

बरामदगी का विवरणः-

01 मोबाइल फोन लावा की-पैड़ (घटना मे कालिंग के लिए प्रयुक्त)
03 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन

अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मुबारिक हसन थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. क0ऑ0 गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

4. है0का0 1141 रोहित कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का0 103 शकुन कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
6. का0 2195 अनिल कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
7. का0 89 अंकित कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।